प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.02.18 में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त राजकुमार द्वारा एवं शेष सहित अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर। फरियादी एवं आहत बंटी उर्फ लाखन एवं विमला उप0। प्रकरण राजीनामा हेत् नियत है।

फरियादी एवं आहतगण की ओर से राजीनामा हेत् अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर एवं छायाचित्र चस्पाकर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान श्री एम0एस0 यादव एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मध्र रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा २९४, ३२३ दो काउण्ट सहपठित धारा ३४ एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी एवं आहत द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मध्र संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा २९४, ३२३ दो काउण्ट सहपिटत धारा ३४ एवं ५०६ बी भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

> प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य की व

पीठासीन अधिकारी